न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 263/2023

अनवान : –

1. विनोद पुत्र पृथ्वीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. धर्मपाल पुत्र पृथ्वीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. श्राजपाल पुत्र पृथ्वीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांक: 11/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 18 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 43/41 की कुल 9.6140 हैक्ट भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायलान व गैरसायल का खाता मुश्तरका है सायलान का गैरसायल से सींव लगान व काश्त आदि का झगड़ा रहता है। गैरसायलान अजनबी केतागण को वाद भूमि पर विभाजन से पहले काबिज करवाना चाहते है एवं अच्छी भूमि का बैचान करना चाहते है। अगर गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति सायल को होगी। अतः गैरसायलान को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से कन्फर्म किया जावे की जब तक खाता विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 18 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 43/41 की कुल 9.6140 हैक्ट भूमि मे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखल न करे एवं कब्जा काश्त की भूमि के आवागमन में बाधा पैदा न करे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अत अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है। पत्रावली से उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 18 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 43/41 की कुल 9.6140 हैक्ट भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी एव अप्रार्थीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार है तथा मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्से की किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:26:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रिकार्ड है, अप्रार्थीगण द्वारा विशेष हिस्से का बेचान या प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखल देने से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे बनता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसला वाद रोही मौजा चक 18 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 43/41 की कुल 9.6140 हैक्ट भूमि में प्रार्थी के रिकार्ड में धारित व कब्जा काश्त व कब्जा काश्त में आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:26:07 IST
Reason: SelfAttested